5.2 निक्षेप अनुबन्ध (Contract of Bailment)

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, "जब कोई व्यक्ति, एक अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपनी कोई वस्तु इस शर्त पर देता है कि प्रयोजन पूरा हो जाने पर वह वस्तु उसे लौटा दी जायेगी अथवा उसके निर्देशानुसार वस्तु का निपटारा कर दिया जायेगा तो इसे निक्षेप कहते हैं। वह व्यक्ति जो माल की सुपुर्दगी देता है उसे निक्षेपी (Bialor) एवं जिस व्यक्ति को माल सुपुर्द किया जाता है उसे निक्षेपगृहीता (Bailee) कहते है। जैसे-रमेश एक कमीज बनाने के लिए दरजी को कपड़ा देता है, यह एक निक्षेप अनुबन्ध है। इसमें रमेश निक्षेपी एवं दरजी निक्षेपगृहीता है।

उपरोक्त परिभाषा से निक्षेप के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं-

(1) अनुबन्ध का होना - निक्षेप में वस्तु की सुपुर्दगी एक अनुबन्ध के अन्तर्गत दी जाती है जिसमें यह शर्त्त होती है कि प्रयोजन पूरा हो जाने पर वस्तु वापस कर दी जायेगी। कुछ परिस्थितियों में बिना अनुबन्ध के भी निक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे खोई हुई वस्तु पाने वाला व्यक्ति कानून की दृष्टि में निक्षेपगृहीता माना गया है।

(2) चल सम्पत्ति से सम्बन्धित - निक्षेप केवल चल संपत्तियों का ही हो सकता है अर्थात् अचल सम्पत्तियों का हस्तांतरण निक्षेप अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आता।

(3) स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं - निक्षेप अनुबन्ध में वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। निक्षेपी निक्षेपगृहीता को माल सौंपकर भी माल का स्वामी बना रहता है।

(4) माल के अधिकार का हस्तांतरण - निक्षेप में माल के अधिकार का हस्तांतरण अनिवार्य है अर्थात् वस्तु का निक्षेपागृहीता के अधिकार क्षेत्रा में जाना अनिवार्य है। अगर वस्तु स्वामी के अधिकार में ही रहती है तो वह निक्षेप नहीं हो सकता।

(5) वस्तु की सुपुर्दगी - वस्तु की सुपुर्दगी किसी अन्य व्यक्ति को होनी चाहिए। सुपुर्दगी वास्तविक अथवा रचनात्मक हो सकती है। जब निक्षेपी, निक्षेपगृहीता को वास्तव में वस्तु का कब्जा देता है तो उसे 'वास्तविक

Scanned with CamScanner

सुपुर्दगी' कहते हैं। जैसे- रमेश अपनी घड़ी मरम्मत के लिए घड़ीसाज को देता है। किन्तु जब निक्षेपी कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वस्तु प्राप्त करने का अधिकार निक्षेपगृहीता को मिल जाता है तो इसे रचनात्मक सुपुर्दगी- कहते हैं।

(6) विशेष उद्देश्य - निक्षेप में वस्तु की सुपुर्दगी किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है और निक्षेपगृहीता का यह कर्त्तव्य होता है कि उद्देश्य के पूरा होने के उपरांत माल या तो निक्षेपी को लौटा दे अथवा उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दें। इस प्रकार निक्षेप में माल के हस्तांतरण का उद्देश्य अस्थायी होता है।

(7) वस्तु की वापसी - निक्षेप अनुबन्ध में यह शर्त्त गर्भित होती है कि विशिष्ट उद्देश्य के पूरा होने पर वस्तु निक्षेपी को वापस मिल जायेगी या उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

किन्तु वस्तु की वापसी मूलरूप में होना आवश्यक नहीं है विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में जिनमें स्वभाव परिवर्तन अनिवार्य हो। उदाहरण के लिए यदि गेहूँ चक्की वाले को पीसने के लिए सुपुर्द किया जाये तो गेहूँ आटे के रूप में ही निक्षेपी को वापस प्राप्त होगा, उसी प्रकार बैंक में जब धन जमा कराय जाता है तो उसे निक्षेपी नहीं कहते, क्योंकि बैंक में जमा किए गए नोटों को ही वापस करने के लिए बैंक बाध्य नहीं होता। वरन् जमा की गई रकम के बराबर धन देने के लिए ही उत्तरदायी होता है।

5.3 निक्षेप के प्रकार (Kind of Bailment)

साधारणतया निक्षेप निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-

(1) सुरक्षा के लिए निक्षेप - जब निक्षेपी वस्तु को निक्षेपगृहीता के पास केवल सुरक्षा के लिए देता है या जमा करता है तो इसे 'सुरक्षा के लिए निक्षेप' कहते हैं। जैसे- आभूषणों को सुरक्षा के लिए बैंक के लॉकर में रखना, तो इसे रक्षार्थ निक्षेप कहते हैं।

(2) निःशुल्क या शुल्क रहित निक्षेप - जब एक व्यक्ति अपनी वस्तु किसी व्यक्ति को बिना शुल्क प्रयोग करने के उद्देश्य से हस्तान्तरित करता है, तो इसे निःशुल्क निक्षेप कहा जाता है। ऐसे निक्षेप में निक्षेपी, निक्षेपगृहीता से वस्तु प्रयोग करने के बदले किसी प्रकार का किराया नहीं लेता। जैसे 1 अपनी साईकिल B को एक दिन के लिए उपयोग ावस्ते देता है।

(3) सशुल्क या शुल्क रहित निक्षेप - जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई वस्तु प्रयोग करने के लिए हस्तांतरित करता है और इसके लिए कोई शुल्क या किराया लेता है, तो इसे सशुल्क निक्षेप अथवा शुल्क सहित निक्षेप कहते हैं, जैसे- पंखा, गाड़ी, फर्नीचर प्रयोग के लिए किराये पर देना।

(4) प्रयोग के लिए निक्षेप - जब निक्षेप अपनी वस्तु निक्षेपगृहीता को उसके प्रयोग के लिए सुपुर्द करता है तो इसे 'प्रयोग के लिए निक्षेप' कहते हैं। जैसे अपने मित्र या सम्बन्धी को प्रयोग के लिए कोई वस्तु देना।

(5) मरम्मत के लिए निक्षेप - जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई वस्तु मरम्मत करने के लिए देता है और मरम्मत के बाद वह वस्तु निक्षेपी को लौटा दी जाती है तो इसे मरम्मत के लिए निक्षेप कहा जाता है।

(6) बन्धक अथवा गिरवी के लिए निक्षेप - किसी ऋणदाता के पास ऋण के समय प्रतिभूति के रूप में वस्तुयें रखना बन्धक या गिरवी कहलाता है। ऋण चुकाने के बाद गिरवी रखी हुई वस्तु वापस कर दी जाती है।

Scanned with CamScanner

(7) परिवहन सम्बन्धी निक्षेप - यदि कोई वस्तु ग्राहक को एक निश्चित स्थान पर पहुँचाने के उद्देश्य से दी जाती है तो उसे परिवहन सम्बन्धी निक्षेप कहते हैं। जैसे- रेलवे को कोई वस्तु कहीं भेजने के लिए सुपुर्द करना।

(8) किराये के लिए निक्षेप - जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु किराये पर प्रयोग के लिए देता है, तो इसे किराये के लिए निक्षेप कहते हैं।

5.4 निक्षेपी के कर्त्तव्य एवं दायित्व (Duties and Liabilities to a Bailor)

(1) निक्षेप की जा रही वस्तु के दोषों को प्रकट करना - निक्षेपी का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वह निक्षेपित वस्तु सम्बन्धी वे समस्त दोष निक्षेपगृहीता को बताये जो उसकी जानकारी में है एवं जिनसे वस्तु के उपयोग में महत्त्वपूर्ण बाधा होती है या जिसके कारण निक्षेपगृहीता असाधारण संकट में पड़ सकता है। यदि निक्षेपी ऐसा नहीं करता है तो वह उन दोषों के कारण निक्षेपगृहीता को हुई प्रत्यक्ष हानि के लिए उत्तरदायी होता है। किन्तु वस्तु के जिन दोषों की उसे स्वयं जानकारी नहीं होती, उससे निक्षेपगृहीता को हुई हानि की पूर्ति के लिए निक्षेपी सशुल्क निक्षेप की दशा में ही उत्तरदायी होगा, निःशुल्क निक्षेप के अन्तर्गत नहीं। (धारा 150)

(2) व्ययों का भुगतान करना - निक्षेप अनुबन्ध के अधीन किये गए समझौते के अनुसार निक्षेपी निक्षेपगृहीता को वे सब व्यय चुकाने के लिए दायी होगा जो उसने निक्षेपित वस्तु के सम्बन्ध में किए हैं। किन्तु यह व्यय तब चुकाये जायेंगे, जब निक्षेपगृहीता बिना पारिश्रमिक के निक्षेप स्वीकार करता है। (धारा 158)

(3) निक्षेपगृहीता की हानि की पूर्ति - निक्षेपी का कर्त्तव्य है कि वह निक्षेपगृहीता की उन सब हानियों की क्षतिपूर्ति करे जो उसे निक्षेपित वस्तु के विषय में निक्षेपी के अधिकारों पर न्यूनतम या सीमाओं के कारण हुई हो। (धारा 149)

(4) असाधारण व्ययों का भुगतान करना - साधारण व्ययों के अतिरिक्त यदि निक्षेपगृहीता ने निक्षेप के सम्बन्ध में कोई असाधारण व्यय किये हों, तो निक्षेपी ऐसी असाधारण व्ययों की राशि निक्षेपगृहीता को भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। (धारा 158)

(5) वस्तु की सुपुर्दगी देना - निक्षेपी का यह कर्त्तव्य है कि वह निक्षेप अनुबन्ध के अनुसार समस्त माल की सुपुर्दगी निक्षेपगृहीता को दें। यह सुपुर्दगी रचनात्मक अथवा वास्तविक हो सकती है। (धारा 149)

(6) निक्षेपगृहीता को पारिश्रमिक देना - यदि वस्तु किसी विशेष कार्य के लिए निक्षेप की जाती है तो निक्षेपी का कर्त्तव्य है कि वह निक्षेपगृहीता को वस्तु के सम्बन्ध में किये गये पारिश्रमिक का पूर्ण प्रतिफल दें।

5.5 निक्षेपी के अधिकार (Rights of Bailor)

निक्षेपी का प्रमुख अधिकार निम्नलिखित है-

(1) धारा 152 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता निक्षेप की वस्तु की उचित देखभाल नहीं करता तो निक्षेपी निक्षेपगृहीता से ऐसी क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है, जो उसे वस्तु की उचित देखभाल न होने के कारण हुई है।

Scanned with CamScanner

(2) धारा 153 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता निक्षेप की गयी वस्तु के सम्बन्ध में कोई ऐसा काम करता है जो निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध है, तो निक्षेपी या तो निक्षेप की गयी वस्तु को वापस ले सकता है अथवा वह अपनी इच्छा पर अनुबन्ध को रद्द कर सकता है।

(3) धारा 154 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता निक्षेप किये गये माल का उपयोग निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध करता है, तो निक्षेपी निक्षेपीगृहीता से उस उपयोग से या ऐसे उपयोग के समय में वस्तु की होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

(4) धारा 155 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता, निक्षेपी की सहमति से उसकी वस्तु को अपनी वस्तु में मिला देता है तो ऐसी मिलावट में निक्षेपी का अधिकार उसके अंश के अनुसार होगा।

(5) धारा 156 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता, निक्षेपी की सहमति के बिना निक्षेपित माल को अपने निजी माल के साथ मिला देता है और माल अलग करना सम्भव है, तो निक्षेपी ऐसी मिलावट के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति और माल को अलग करने का व्यय दोनों प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

(6) धारा 157 के अनुसार यदि निक्षेपगृहीता निक्षेपी की सहमति के बिना निक्षेपित वस्तु को अपनी निजी वस्तु के साथ मिला देता है और इसमाल में से निक्षेपित माल को अलग करना असम्भव है, तो निक्षेपी निक्षेपगृहीता से सम्पूर्ण माल की क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है।

(7) धारा 159 के अनुसार, निक्षेपी की अवधि के पहले या उद्देश्य के पूरा होने के पूर्व ही निक्षेप की गई वस्तु को वापस ले सकता है।

(8) धारा 160 के अनुसार, निक्षेपी निक्षेप की अवधि बीत जाने पर अथवा निक्षेप के उद्देश्य के पूरा हो जाने पर निक्षेपित वस्तु को वापस लेने का अधिकारी है।

(9) धारा 161 के अनुसार, किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में निक्षेपी निक्षेपित वस्तु की वृद्धि तथा लाभ को भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

Scanned with CamScanner